न्यायालय जिलाकलेक्टर, कोटा
पीठासीनअधिकारीः—पीयूष समारिया,**I.A.S.**

प्रकरण संख्या —120/2025 (अपील)
GCMS No.2025/203

हुकमचन्द जैन आत्मज श्री हरकचन्द जैन जाति महाजन निवासी 336 दादाबाडी विस्तार योजना कोटा (राज0)

——अपीलान्टगण

बनाम

बनवारी आत्मज श्री केसरीलाल जाति धोबी निवासी ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

——रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्व अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश दिनांक 28.10.2025 न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा मिसल नं0 33/2025

उपस्थित—
1. श्री भगवती बल्लभ शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः— 12.05.2026

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा ने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183—बी के सम्बन्ध में मि0नं0 33/2025 में दिनांक 28.10.2025 को निर्णय पारित किया कि— "वाके ग्राम कसार के विवादित खसरा संख्या 242/1565 प्रार्थी के ही खाते दर्ज रिकार्ड है, जिस पर अप्रार्थी का कब्जा पूर्णतया अविधिपूर्ण है जिसे हटवाया जाना विधि संगत है, तथा अप्रार्थी के तर्क स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी हुकमचंद जैन श्री हरक चंद जैन जाति महाजन निवासी 336 दादाबाडी विस्तार योजना कोटा से ग्राम कसार के आराजी खसरा संख्या 242/1565 रकबा 0.26 हे0 की भूमि का कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द करें अन्यथा की स्थिति में आईएलआर / पटवारी कसार अप्रार्थीगण हुकमचंद जैन पुत्र श्री हरक चंद जैन जाति महाजन निवासी 336 दादाबाडी विस्तार योजना कोटा को विवादित आराजी से बेदखल करें । बेदखली कार्यवाही के दौरान शांतिभंग ना हो इसके लिए थानाधिकारी मण्डाना को मय जाप्ता उपस्थित रहने हेतु पृथक से लिखा जावें ।
2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में अपीलांट ने यह अपील आदेश दिनांक 28.10.2025 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 26.11.2025 को पेश की गई है कि अपीलांट अप्रार्थी के खाते की भूमि खसरा नम्बर 242 रकबा 0.32 हे0 जिसे अपीलान्ट ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मय पत्थर के कोट दिनांक 28.6.2006 को खरीद किया था जो यथावत आज तक मय पत्थर कोटा के कब्जे काश्त में है, तथा खसरा नम्बर 598 रकबा 0.68 हे0 वाके कसार गैर मुमकिन ओद्योगिक खाते दर्ज है, पटवारी हल्का की बनाई गई एक तरफा रिपोर्ट जिसमें भूमि, पर वर्षो से पत्थर का कोट चारों तरफ है प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की तथाकथित भूमि खसरा नम्बर 242/1565 रकबा 0.26 हे0 वाके कसार अपीलान्ट के पत्थर के कोट में किस दिशा में कितनी है तय किये बगैर कयास के आधार पर आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है ।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलबी की गई, रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री रविन्द्र खण्डेलवाल का वकालतनामा पेश हुआ । विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी ।

4. वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि कि अपीलांट अप्रार्थी के खाते की भूमि खसरा नम्बर 242 रकबा 0.32 हे0 जिसे अपीलान्ट ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मय पत्थर के कोट दिनांक 28.6.2006 को खरीद किया था जो यथावत आज तक मय पत्थर कोटा के कब्जे काश्त में है, तथा खसरा नम्बर 598 रकबा 0.68 हे0 वाके कसार गैर मुमकिन ओद्योगिक खाते दर्ज है, पटवारी हल्का की बनाई गई एक तरफा रिपोर्ट जिसमें भूमि, पर वर्षो से पत्थर का कोट चारों तरफ है प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की तथाकथित भूमि खसरा नम्बर 242/1565 रकबा 0.26 हे0 वाके कसार अपीलान्ट के पत्थर के कोट में किस दिशा में कितनी है तय किये बगैर कयास के आधार पर आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की तृतीय अनुसूचित में दर्ज क्रम संख्या 68 सी के विपरीत अतिक्रमण की वास्तविक तिथि नहीं लिखी है जो धारा 183(बी) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के लिये मियाद के बिन्दु एवं वाद कारण का एक आधार होता है, जिसे प्रार्थना पत्र में कहीं नहीं लिखा गया है, इसलिये कानूनी प्रावधानों के विपरीत प्रार्थना पत्र की सुनवाई कर निर्णय विरूद्व मियाद के बिन्दु को बिना तय किये पारित किया है । प्रार्थना पत्र धारा 183(बी) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में प्रार्थी को अनुसूचित जाति का व्यक्ति मानकर निर्णय किया है जबकि वाद कारण की तिथि को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट अन्य पिछडा वर्ग का सदस्य है न कि अनुसूचित जन जाति का । इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय बिना क्षैत्राधिकार के होने से शून्य है, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 183(बी) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में मेन्टेनेबल नहीं होने से काबिल निरस्तनीय है । अदालत मातहत के सम्पूर्ण निर्णय का आधार हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है जो कानून के प्रावधानों के तहत साक्ष्य में स्वीकार नहीं है और न ही स्वतंत्र रूप से निर्णय का आधार हो सकती है और न ही न्यायालय ने रिपोर्ट का विवेचन किये बगैर निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील दिनांक 28.10.2025 निरस्त फरमाया जावे । वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक निर्णय आर आर डी 2000 पेज 253 प्रस्तुत किये है ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम कसार तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 242/1565 की रकबा 0.26 हे0 भूमि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की भूमि है, तथा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट धोबी जाति का होकर अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है । अप्रार्थी अपीलांट ने प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि पर नाजायज कब्जा करने से कब्जा हटाने को कहा किन्तु कब्जा नहीं छोडने से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की रिपोर्ट प्राप्त कर विधि अनुरूप निर्णय पारित करते हुए अप्रार्थी अपीलांट को प्रार्थी की भूमि से बेदखली का आदेश पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 28.10.2025 के विरूद्व दिनांक 26.11.2025 को पेश की गई है, जो निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत है ।

7. उभयपक्ष अभिभाषकगण के प्रस्तुत तर्को एवं पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट हुए है कि ग्राम कसार तहसील लाडपुरा स्थित आराजी खसरा नं0 242/1565 रकबा 0.26 हे0 प्रार्थी रेस्पोडेन्ट बनवारी आत्मज केसरीलाल जाति धोबी के नाम खातेदारी से दर्ज रिकार्ड है, जिस पर अप्रार्थी अपीलांट का कब्जा होने से अन्तर्गत धारा 183–बी रा0टी0ए0 का प्रार्थना पत्र प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत किया जिस पर जांच में अप्रार्थी अपीलांट का कब्जा होने से 183–बी के अन्तर्गत अप्रार्थी अपीलांट को वर्णित भूमि से वेदखल करने का आदेश तहसीलदार लाडपुरा ने दिनांक 28.10.2025 से पारित किया गया । जिसकी अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की है जिसमें मुख्य तर्क है कि अप्रार्थी अपीलांट ने खसरा नम्बर 242 रकबा 0.32 हे0 भूमि जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मय पत्थर के कोट दिनांक 28.10.2006 को खरीद की थी जो यथावत आज तक कब्जे काश्त में है, रजिस्ट्री की प्रति अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की है जो पत्रावली संलग्न है ।

अपीलांट का यह भी तर्क है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की तथाकथित भूमि खसरा नम्बर 242/1565 रकबा 0.26 हे0 वाके कसार अपीलान्ट के पत्थर के कोट में किस दिशा में कितनी है यह तय किये बगैर कयास के आधार पर आदेश पारित किया जाना बताया है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की भूमि खसरा नम्बर 242/1565 रकबा 0.26 हे0 खातेदारी से दर्ज रिकार्ड है । अपीलांट के कथन से हम सहमत है कि खसरा नम्बर 242 रकबा 0.32 हे0 भूमि जिस पर बाउन्ड्रीवाल बनी हुई है, जिसके फोटोग्राफ्स अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये है, जिसमें प्रार्थी अपीलांट की भूमि किस दिशा में कितनी कहां अवस्थित है यह अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट नहीं हो रहा है, और ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नक्शे के मुताबिक मौका रिपोर्ट तलब की है । यहां यह भी तथ्य प्रकट है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की भूमि 242/1565 रकबा 0.26 हे0 दर्ज रेकार्ड है जिसे अन्तर्गत धारा 183(बी) के तहत कब्जा दिलाया जाना है । ऐसी स्थिति में मौके पर नक्शे के मुताबिक सीमाज्ञान कराया जाकर ही प्रार्थी रेस्पो0 की खाते की भूमि का कब्जा दिलाया जा सकता है । प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते है ।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को निर्णय दिनांक 28.10.2025 की पालना में कब्जा दिलाने से पूर्व प्रार्थी एवं अप्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान कराया जावें एवं प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की भूमि चिन्हित की जाकर ही प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को कब्जा संभलाया जावें । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.10.2025 में अन्य कोई त्रुटि नहीं होने से यथावत रखा जाता है ।

9. निर्णय आज दिनांक 12.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा